न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 03/2025

दायर दिनांकः 09.04.2025

निर्णय दिनांक 01.07.2025

—:अनवान:—

राज्य सरकार जरिये, लोकेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द — **प्रार्थी**

—:बनाम:—

श्री शान्तिलाल बैरवा, मै0 चारभुजा ऑटोमोबाईल, दरीबा रोड, रेलमगरा, जिला राजसमन्द — **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अप्रार्थी द्वारा एल0पी0जी0 घरेलू गैस का अवैध रूप से भण्डारण करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 गैस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री शान्तिलाल बैरवा (अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित)

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2025 को श्री लोकेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घरेलू गैस के दुरुपयोग के क्रम में संचालित अभियान के दौरान निवासी शान्तिलाल बैरवा, मै0 चारभुजा ऑटोमाबाईल, दरीबा रोड, रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा संचालित अपनी फर्म मै0 चारभुजा ऑटोमाबाईल, दरीबा रोड, रेलमगरा पर 01 भरा हुआ घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया, जो इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन मय काले रबर टयूब एवं रेगुलेटर पाया गया, जिनके क्रम में मौके पर उपस्थित राधेश्याम बैरवा से पूछताछ करने के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र एवं खरीद के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही कुछ देर बाद शान्तिलाल बैरवा मालिक मै0 चारभुजा ऑटोमाबाईल, दरीबा रोड रेलमगरा जिला राजसमन्द उपस्थित हुए एवं उनसे भी पूछताछ करने उक्त के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र एवं खरीद के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रथम दृष्टयां अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 01 भरा हुआ घरेलू

गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस जब्त की जाकर श्री प्रभुलाल गाडरी निवासी रेलगमरा प्रतिनिधि मै0 विनायक गैस एजेन्सी, रेलमगरा तहसील रेलमगरा एवं जिला राजसमन्द को ठीक तरीके से सुपुर्द किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये

मौके पर जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमें संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र सं.	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का प्रकार	भरे हुए सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध वजन
1	512145-S	BPCL	Dom.	29.8	15.6	14.2

अतः शान्तिलाल बैरवा, मै0 चारभुजा ऑटोमाबाईल, दरीबा रोड, रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा प्रथम दृष्टया घरेलू गैस का अवैध व्यवसायिक उपयोग करने हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी दिनांक 10.06.2025 को उपस्थित हुआ।

प्रार्थी पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्त शुदा उक्त 01 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर उसके स्वय के है, जिनका व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा 01 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस मय इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

प्रार्थी पेरोकार की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रसद विभाग द्वारा मूर्तिब फर्द मौका व जब्ती अनुसार दिनांक 14.02.2025 को श्री लोकेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से BPCL कम्पनी का अवैध रूप से भण्डारित 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई एवं मौके पर वक्त जांच उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के बारे में अप्रार्थी से जांच दल द्वारा वैध लाईसेंस व दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु न तो उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही इस घरेलु गैस सिलेण्डर का कोई वैध अनुज्ञापत्र आदि उपलब्ध कराया गया। अप्रार्थी की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भी अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क व प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जाना पाया जाता हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन को राजसात किया जाना उचित हैं।

:आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम गैस एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 01.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)